हुक्म की नकल ... में जारी ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई0ए0एस0
मुकदमा नम्बरः—~~300/2008~~ राजस्व वाद व 224/2008 व प्रार्थना पत्र 361/2018
उदा पिता गोपाल मीणा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा वगैराह
———वादीगण

बनाम

प्रहलाद मुतबन्ना गोकल महाजन, उम्र निवासी आमली की बारी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा वगैराह
———प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—92(क) व 188 रा0 टि0 एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0

उपस्थितः—

श्री घीसालाल जैन, — एडवोकेट—प्रतिवादी सं.1
श्री भैरू लाल वैष्णव, — एडवोकेट—वादीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः—18.10.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 का वादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण संख्या 224 और 336 में दर्ज आराजी एवं वादपत्र में दर्ज बिन्दुओं पर पूर्व में इसी कोर्ट द्वारा मिशल संख्या 50/1965 के वाद पत्र का निर्णय श्रीमान् पी.सी.जैन, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 30.8.1967 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सुनाया गया। जिसमें वर्तमान मिसल संख्या 224 एवं 366/2008 के समस्त वाद एवं प्रतिवादी सम्मिलित थें। अपर कोर्ट उप जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा की मिसल संख्या /1981 में भी वर्तमान मिसल संख्या 224 एवं 366 में दर्ज आराजियात का निर्णय दिनांक 5.9.1982 को प्रतिवादी प्रहलादराय तोषनीवाल के पक्ष में सुनाया गया । जिससे वर्तमान मिशल के वादी एवं प्रतिवादी सम्मिलित थें। उप जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 5.9.1982 के पेज संख्या 2 कें पैरा दो एवं तीन में न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की है किइस यप्रकार की प्रवृति से मुकदमों का कभी अंत नहीं होगा। इस अदालत के समक्ष्या अधिकारों वाली अन्य संक्षम न्यायालय द्वारा जो प्रसंग अंतिम रूप से निर्णय किया जा चुका है उसे वादी बेक डोर एन्ट्री द्वारा पुनः विवादग्रस्त बना कर नहीं उठा सकता हैं। इस प्रकार की प्रवृति से मुकदमों का कभी अंत नहीं होगा। अतः उक्त विवेचन के आधार पर दावा खारीज करते हुये प्रतिवादी प्रहलाद राय के पक्ष में निर्णय दिया गया था। माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर के मिसल संख्या 33/1986 के वाद पत्र का निर्णय पीठासीन अधिकारी श्रीमान् गोपालदास जी द्वारा दिनांक 11.12.1987 को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय सुनाया गया। जिसमें वर्तमान मिसल संख्या 224 एवं 366 के समस्त वादी एवं प्रतिवादी सम्मिलित थे। उक्त निर्णय भी इसी वाद पत्र की आराजियात पर दिया गया । पूर्व में इसी आराजियात के संबंध में एस.डी.ओ. कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

द्ध आराजी नम्बर 2354 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जो ांक 30.81967 को वादी का वाद पत्र खारीज किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत ी प्रति से होती हैं। माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर के प्रकरण या 33/1986 छोगा पिता भूरा मीणा निवासी कोदूकोटा वगैराह बनाम मु. छाई बाई गोकल तोषनीवाल निवासी वार्ड नं. 4 भीलवाड़ा वगैराह निर्णय दिनांक 11.12.1987 हुआ। जिसमें अपीलान्टस की अपील खारीज की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय बहाल रखा जाता हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत निर्णय की प्रति से होती हैं। साबिक ाजी नम्बर 2354 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा के हाल नम्बर 3603 रकबा 10 बीघा 1 वा कायम हुये है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत रा मिलान की फोटो प्रति से होती हैं। तथा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 5 से 2048; 2053 से 2056, तथा 2061 से 2064 से होती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व ना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से होती हैं। जिसमें ादित आराजियात का समान होना, समान पक्षकार होना , व दादरसी भी समान हैं जो 11 जा0दी0 की ताईद में आती हैं। क्योंकि यह वाद पश्चात वृति वाद है न कि र्ती वाद। क्योंकि पूर्ववर्ती वाद का निस्तारण होकर उसकी अपील भी हो चुकी हैं। तु पूर्ववर्ती वाद में वादी के पूर्वजो को किसी प्रकार की वादपत्र में दादरसी प्राप्त नहीं हैं। इस कारण वादीगण अब किसी प्रकार की कोई दादरसी इस पूर्व पश्चात वृति के तहत प्राप्त नहीं कर सकता हैं। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सार प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 की ताईद होती हैं। जबकि वकील वादीगण ने ना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर समान पक्षकार नहीं होना, विषय वस्तु समान होना, विवाधक बिन्दु नहीं होना किया हैं। किन्तु खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत ना पत्र धारा 11 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र रीज किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र धारा 11 ा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद पत्र को खारीज किया जाता हैं। र्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

18/10/2019

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 18/10/2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
18/10/2019

Scanned with CamScanner